न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।

परिवाद सं0—754 / 2020

श्रीमती ललिता बनाम देवेन्द्र आदि

04.03.2021

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस प्रस्तुत की जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी का परिवादपत्र में कथानक संक्षेप में यह है कि प्रार्थिनी मु0 उदनपुरा निकासा, कस्बा कालपी, जिला जालौन की निवासी है। दिनांक 23.08.2020 समय करीब 8 बजे रात्रि की घटना है। प्रार्थिनी का लड़का मुहर सिंह दुकान पर सौदा लेने जा रहा था तभी रास्ते में देवेन्द्र पुत्र सेवा देवी, सेवा देवी पत्नी रामकिशुन, गयाप्रसाद पुत्र पच्चू, पंकज पुत्र गयाप्रसाद ने एकराय होकर घेर लिया और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। प्रार्थिनी के लड़के ने विरोध किया तो सभी लोग घसीटते हुए घर के अन्दर ले गये और पुत्र के मुंह में कपड़ा ठूंस कर लात घूंसों, डन्डों, जूतों से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी का पुत्र लहूलुहान हो गया। मुझ प्रार्थिनी को पता चला। प्रार्थिनी दिनांक 23.08.2020 को थाना गई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके लड़के की डाक्टरी नहीं की गई और यह भी धमकी देते हैं कि तुम्हारे लड़के को लड़की के केस में फंसा देंगे। प्रार्थिनी ने दिनांक 27.08.2020 को पुलिस अधीक्षक जालौन स्थान उरई को पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा परन्तु फिर भी थाना कालपी में प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक एवं रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है। परिवादी का बयान धारा 200 द0प्र0सं0 व बयान गवाहान पी0डब्लू0—1 वंशी, पी0डब्लू0—2 रामजी सिंह धर्मेन्द्र के बयान अंतर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित किये गये।

परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। दिनांक 28.08.2020 की बात है। वह घर पर थी। उसका लड़का सब्जी लेने गया था। वह अकेली थीर। उसके लड़के को रास्ते में चार लोगों ने घेर लिया। चारों के नाम सेवा देवी, देवेन्द्र, गयाप्रसाद व पंकज थे। उसके लड़के को भद्दी भद्दी गालियां दीं, मारपीट की, बहुत मारा। उसके लड़के को घर के अन्दर ले गये और मुंह बन्द करके मारा। सेवा देवी का घर उसके घर के पास है। वहां शोर हुआ व भीड़ इकट्ठा हो गयी तो वह भी वहां पहुंच गयी। सेवा देवी का घर उसके मकान के बगल में ही है। उसकी पहले से कोई रंजिश नहीं थी। वह थाने गयी तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर उरई रजिस्ट्री की फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन लोगों को सजा मिले। साक्षी पी0डब्लू01 वंशी ने कथन किया है कि मोहर सिंह को देवेन्द्र, सेवा देवी, गयाप्रसाद व पंकज ने घेर लिया। विरोध करने पर मुंह पर कपड़ा डाल दिया। गाली गलौज करने लगे। उसने बीच बचाव किया। साक्षी पी0डब्लू02 धर्मेन्द्र ने भी घटना का समर्थन किया है। परिवादिनी द्व ारा चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रथम दृष्टया विपक्षीगण देवेन्द्र, सेवा देवी, गयाप्रसाद और पंकज के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323,504,506 भा0द0सं0 का गठित होना प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षी को जरिये समन अंतर्गत धारा 323,504,506 भा0द0सं0 के तहत तलब किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

विपक्षीगण देवेन्द्र, सेवा देवी, गयाप्रसाद और पंकज को जरिये समन अंतर्गत धारा 323,504,506 भा0द0सं0 के अंतर्गत तलब किया जाता है। परिवादी लिस्ट गवाहान दाखिल करें एवं पैरवी करें। अभियुक्तगण को नियमानुसार समन नियत तिथि के लिये जारी हो। विपक्षीगण दिनांक 05.04.2021 को वास्ते हाजिरी न्यायालय में उपस्थित हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी।